न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, देहरादून।
वाद संख्या 173/2026
आर0पी0एफ0 बनाम मनीष शर्मा

दिनांक 16.04.2026

पत्रावली पेश हुई। पुकारा गया। अभियुक्त मनीष शर्मा उपस्थित।

2. अभियुक्त मनीष शर्मा की ओर से द्वारा विद्वान अधिवक्ता श्री आलोक कुमार रमन की ओर से स्वेच्छा जुर्म इकबाली प्रार्थना पत्र मय शिनाख्त यह कहते हुए प्रस्तुत किया है, कि वह अपने ऊपर लगाये गये आरोपो को स्वैच्छा से स्वीकार करता है। वह गरीब है। भविष्य में अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेगा। उसे कम से कम सजा से दण्डित किये जाने की याचना की गई है।

3. अभियुक्त को उपर्युक्त संस्वीकृति के परिणाम व प्रभाव से भलीभांति समझाया गया। उसकी ओर से अपराध की संस्वीकृति के कथनो पर बल दिया गया । जिससे अभियुक्त द्वारा स्वैच्छया, बिना किसी दबाव या लोभ, लालच का उपर्युक्त संस्वीकृति किया जाना स्पष्ट होता है। संस्वीकृति उपरोक्त करने वाले के विरूद्ध ठोस साक्ष्य है। जिसके आधार पर उसे दण्डित किया जा सकता है। अतः अभियुक्त द्वारा स्वैच्छया की गई संस्वीकृति के आधार पर उसे अपराध अंतर्गत धारा 159 रेलवे अधिनियम, 1989 से दोष सिद्ध किया जाता है।

4. अभियुक्त को उपर्युक्त संस्वीकृति के परिणाम व प्रभाव से भलीभांति समझाया गया। अभियुक्त के उपर्युक्त साबित कृत्य से रेलवे विभाग को क्षति होना दर्शित किया गया है। उसकी ओर से अपराध की संस्वीकृति के कथनो पर बल दिया गया। जिससे अभियुक्त द्वारा स्वैच्छया, बिना किसी दबाव या लोभ, लालच का उपर्युक्त संस्वीकृति किया जाना स्पष्ट होता है। संस्वीकृति उपरोक्त करने वाले के विरूद्ध ठोस साक्ष्य है। जिसके आधार पर उसे दण्डित किया जा सकता है। अतः अभियुक्त द्वारा स्वैच्छया की गई संस्वीकृति के आधार पर उसे अपराध अंतर्गत धारा 159 रेलवे अधिनियम, 1989 से दोष सिद्ध किया जाता है।

5. मामले के तथ्य व परिस्थिति और सद्भावी पूर्वक संस्वीकृति के दृष्टिगत न्यायालय अभियुक्त को न्यायालय उठने की अवधि की सजा व जुर्माने से दण्डित किया जाना न्यायोचित पाता है। जिससे न्याय के व्यपाक उद्देश्यो की पूर्ति हो जाएगी। तद्नुसार निम्न आदेश पारित किया जाता है।

आदेश

6. अभियुक्त मनीष शर्मा को अपराध अंतर्गत धारा 159 रेलवे अधिनियम, 1989 दोष सिद्ध किया जाता है। जिसके लिए उसे न्यायालय उठने की अवधि की सजा व मु0 500/—रू0 के जुर्माने से दण्डित किया जाता है। जुर्माना अदा न करने पर उसे 1 दिन का साधारण कारावास भोगना होगा।

7. मामले में यदि माल मुकदमाती है तो उसको नियमानुसार निस्तारित किया जाय।

8. बाद आवश्यक कार्यवाही, पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(रिंकी साहनी)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
देहरादून